जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-27.03.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त/गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार,कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 15.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लउवादाउदपुर के जंगल में गन्ने के खेत में कुछ गौवंश के अवशेष पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लउवादाउदपुर में गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त/गौ-तस्कर को हंस क्रेशर के पास ऊन रोड़ पर हुई पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी ऊन भेजा गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तगण जावेद, इकबाल, रहीश व समीर को दिनाँक 16/17.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगणः-

1.वसीम उर्फ गुल्लू पुत्र सलीम निवासी ग्राम कच्ची गढ़ी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

2.एक मोटर साइकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 किलो 500 ग्राम डोड़ा चूर्ण बरामदः-

दिनांक 26.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को मेरठ-करनाल हाईवे पुलिस चौकी अहमदगढ़ के पास से अवैध 02 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रवि पुत्र कश्मीर निवासी ढाण्ड थाना ढाण्ड जनपद कैथल हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 02 किलो 500 ग्राम।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शकील पुत्र कमर निवासी ग्राम पड़ाशला थाना किशनगढ़ जनपद अलवर राजस्थान।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 18.03.2025 को थाना आदर्शमण्डी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राजा उर्फ गौरव पुत्र ब्रजमोहन निवासी मौहल्ला जवाहरगंज मण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 27.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.साबिर पुत्र सद्दीक अहमद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा 01 युवती व 01 बालिका को सकुशल बरामद कर, परिजनों के सुपुर्द किया गयाः-</u>

दिनांक 25.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत 01 युवती व 01 बालिका के गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गुमशुदा हुई 01 युवती व 01 बालिका को अमृतसर पंजाब से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

वर्ष 2022 में थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सोनू पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई थी । घटना के संबंध में थाना कोतवाली गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 82/2022 धारा 452/354/354B/354C/506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल/पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 452/354/354B भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में 05-05 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 354C भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सोनू पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2018 में अभियुक्त सुभाष पंवार पुत्र देशपाल निवासी ग्राम एलम थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 218/2018 धारा 279/304A भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त धारा 279 भादवि में 06 माह कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 304A भादवि में 02 वर्ष कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2004 में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 181/2004 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त धारा 60 आबकारी अधिनियम 7,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI